टी0ए0 मिस केस सं0 193/2018-19

दिनांक	आदेश	अनुपालन
04.04.19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सुशील कुमार हो, पिता– स्व0 साऊ हो, ग्राम– डोबरोसाई, थाना– मुफस्सिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– डोबरोसाई, थाना नं०– 110 ,खाता नं०–24, प्लॉट नं०– 253, रकबा– 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता लखन तापेए, पिता– स्व0 गोमा तापेए, ग्राम– गाईसुटी टोली ईचाकुटी, थाना– मुफस्सिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की मॉग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक सुशील कुमार हो के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–252, दिनांक– 29.3.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि डॉक्टरी उपचार एंव खेती बारी वा अन्य धरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता लखन तापेए, पिता– स्व0 गोमा तापेए, ग्राम– गाईसुटी टोली ईचाकुटी, थाना– मुफस्सिल चाईबासा के पास 4,00,000.00/–(चार लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफस्सिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख मे संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता सुशील कुमार हो, पिता– स्व0 साऊ हो, ग्राम– डोबरोसाई थाना– मुफस्सिल, क्रेता लखन तापेए, पिता– स्व0 गोमा तापेए, ग्राम– गाईसुटी टोली ईचाकुटी, थाना– मुफस्सिल चाईबासा के पास जमीन का 4,00,000.00/–(चार लाख) रूपये मे मौजा– डोबरोसाई, थाना नं०– 110 ,खाता नं०– 24, प्लॉट नं०–253, रकबा– 0.07½ एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तातरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित। ह0/- 4/4/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। ह0/- 4/4/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner